

बिहार सरकार
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

कार्यालय आदेश

का०आ०सं०- वि०प्रा०(II) विविध-04/2023/

/पटना, दिनांक-

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा विभिन्न संकायों में सहायक प्राध्यापक के पद पर संविदा नियोजन हेतु विज्ञापन संख्या-ST-01/2012 दिनांक-26.05.2012 प्रकाशित किया गया था।

2. उक्त विज्ञापन में श्रीमती गीता सिन्हा, सहायक प्राध्यापक (Computer Science and Engineering) के लिए पिछड़ा वर्ग की आवेदिका थी।

3. काउंसिलिंग हेतु गठित समिति के समक्ष श्रीमती सिन्हा द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र में पाया गया कि वे आई०टी० में बी०ई० है, जबकि उक्त पद के लिए न्यूनतम अहर्ता BE/B.Tech in Computer Science निर्धारित थी।

4. अतः श्रीमती गीता सिन्हा का तत्समय संविदा नियोजन नहीं किया जा सका। श्रीमती गीता सिन्हा द्वारा संविदा पर नियोजन नहीं होने के पश्चात् माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC No.-5034/2014 दायर किया गया। उक्त रिट याचिका में पारित न्यायादेश के आलोक में श्रीमती सिन्हा द्वारा विभाग में समर्पित Representation की समीक्षापरांत विभागीय सकारण आदेश संख्या-340, दिनांक-10.02.2015 द्वारा श्रीमती सिन्हा के दावे को अस्वीकृत कर दिया गया।

5. श्रीमती सिन्हा द्वारा दावा अस्वीकृत होने के पश्चात् पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना के समक्ष परित्याग पत्र समर्पित किया गया। दिनांक-24.06.2022 को पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना के द्वारा दिये गये परामर्श के आलोक में विद्वान महाधिवक्ता से परामर्श प्राप्त किया गया, जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत् है:-

"The department is advised to examine the case of Smt. Geeta Sinha and if she is found to be eligible in terms of regulation of 2017 of AICTE, her case also needs to be considered keeping in view principle of parity"

6. विद्वान महाधिवक्ता के परामर्श के आलोक में श्रीमती सिन्हा की अहर्ता की समीक्षा हेतु विभागीय आदेश संख्या-3409, दिनांक-12.09.2023 द्वारा एक समिति का गठन किया गया। समिति के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन निम्नवत् है:-

"समिति द्वारा AICTE विनियमन 2017 का अवलोकन किया गया। उक्त विनियमन 2017 में Computer Science & Engineering की Degree, Information Technology की Degree के Relevant /Appropriate है।

अतएव श्रीमती गीता सिन्हा की योग्यता AICTE विनियमन 2017 के अनुसार वर्तमान में सहायक प्राध्यापक के लिए योग्य है।"

7. उक्त प्रतिवेदन के आलोक में श्रीमती सिन्हा के संविदा नियोजन के बिन्दु पर सामान्य प्रशासन विभाग से परामर्श प्राप्त किया गया। सामान्य प्रशासन विभाग का परामर्श निम्नवत् है:-

“विद्वान महाधिवक्ता का परामर्श सुस्पष्ट है, जिसमें उनके द्वारा ए०आई०सी०टी०ई० विनियम, 2017 के प्रावधान के आलोक में श्रीमती सिन्हा को संविदा नियोजन के लिए उपयुक्त पाये जाने पर उन्हें संविदा नियोजित करने का स्पष्ट परामर्श दिया गया है। ए०आई०सी०टी०ई० विनियम, 2017 के प्रावधानों के आलोक में श्रीमती सिन्हा की योग्यता की जाँच हेतु प्रशासी विभाग द्वारा एक विभागीय समिति का गठन किया गया था। समिति से प्राप्त प्रतिवेदन में ए०आई०सी०टी०ई० विनियम, 2017 में Computer Science and Engineering की डिग्री सूचना प्रौद्योगिकी की डिग्री के Relevant/appropriate होने के आधार पर ए०आई०सी०टी०ई० विनियम, 2017 के अनुसार वर्तमान में श्रीमती गीता सिन्हा की योग्यता सहायक प्राध्यापक के पद पर नियोजन के योग्य पाये जाने की अनुशंसा की गयी है। वर्णित स्थिति में पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग की अनुशंसा एवं विद्वान महाधिवक्ता के परामर्श के आधार पर श्रीमती सिन्हा का संविदा नियोजन किये जाने में कोई वैधानिक कठिनाई नहीं है। एतदर्थ प्रशासी विभाग स्वयं सक्षम है।”

8. विभागीय समिति की अनुशंसा, विद्वान महाधिवक्ता के परामर्श एवं सामान्य प्रशासन विभाग के मंतव्य के आलोक में श्रीमती गीता सिन्हा को विज्ञापन संख्या-ST-01/2012 दिनांक-26.05.2012 के आलोक में आदेश निर्गत की तिथि से सहायक प्राध्यापक (कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजी०) के पद पर संविदा नियोजन करते हुए दरभंगा अभियंत्रण महाविद्यालय, दरभंगा में पदस्थापित किया जाता है।

9. इसमें विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

संयुक्त सचिव
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
बिहार, पटना

ज्ञापांक-वि०प्रा०(II) विविध-04/2023 / पटना, दिनांक-
प्रतिलिपि-महालेखाकार (ले० एवं ह०) कार्यालय, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी,
जिला-कोषागार, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

संयुक्त सचिव
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
बिहार, पटना

ज्ञापांक-वि०प्रा०(II) विविध-04/2023/

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक के निजी सहायक/आई०टी० मैनेजर (अपलोड हेतु), विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

संयुक्त सचिव

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
बिहार, पटना

ज्ञापांक-वि०प्रा०(II) विविध-04/2023/

6235/पटना,

दिनांक- 29.9.2026

प्रतिलिपि- प्राचार्य, दरभंगा अभियंत्रण महाविद्यालय, दरभंगा/श्रीमती गीता सिन्हा, पति-डॉ० जितेन्द्र कुमार, मो० + पोस्ट-शुभंकरपुर, रत्नोपट्टी, नियर पोस्ट ऑफिस, जिला-दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



संयुक्त सचिव

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
बिहार, पटना